भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **103**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी

103. श्री अनुराग शर्मा:
श्री पी.पी.चौधरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक उर्वरकों के गैर-जिम्मेदाराना उपयोग से धरती माता को काफी हद तक नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पीएम-प्रणाम योजना का उद्देश्य उर्वरकों के धारणीय और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी के कारण देश भर में राज्यों द्वारा कितने प्रतिशत उर्वरक राजसहायता की बचत की गई है;
(ड.) क्या सरकार ने देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): 'दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोग' के संबंध में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत आईसीएआर द्वारा पिछले पांच दशकों के दौरान नियत स्थानों पर किए गए अन्वेषण दर्शाते है कि अकेले नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के लगातार प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य तथा फसल उत्पादकता पर बुरे प्रभाव पड़े हैं जिससे अन्य प्रमुख और सूक्ष्म पोषकतत्वों की कमी का पता चलता है।

(ख) से (च): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को ''धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)'' को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक खेती आदि को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को सहयोग देना है।

उक्त स्कीम के तहत किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करके किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस अनुदान का उपयोग किसानों सहित राज्य के लोगों के लाभ के लिए कर सकते हैं।

इस स्कीम को वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू किया गया है और राज्यों द्वारा यदि कोई बचत की गई हो, तो उसकी गणना की जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति के बाद उसे राज्यों को दिया जाएगा।

*****